

नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org



हिंदी विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह
मानसिकता बदलने के लिए तेज बढ़ाने होंगे कदम -प्रो. विमल थोरात

‘सावित्रीबाई फुले की वर्तमान प्रासंगिकता’ पर हुआ विमर्श

वर्धा दि. 3 जनवरी 2015: भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अधिकारी हैं। परंतु अभी



भी उन अधिकारों को महिलाएं महसूस नहीं कर पा रही हैं। बरसों से समाज में चली आ रही मानसिकता की वजह से महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में अपने अधिकार को पाने के लिए महिलाओं को सामाजिक मानसिकता बदलने की दिशा में अपने प्रयास के माध्यम से कदम तेज करने होंगे। उक्त उदबोधन प्रो. विमल थोरात, दिल्ली ने व्यक्त किये। वह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले की 185वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहीं थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रोफेसर मनोज कुमार ने की। कार्यक्रम में डॉ. कुसुम त्रिपाठी, विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन विभाग के प्रभारी डॉ. सुप्रिया पाठक तथा सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास की अधीक्षक डॉ. अवंतिका शुक्ला मंचासीन थीं।

प्रो. विमल थोरात ने सावित्रीबाई फुले के शिक्षा संबंधी योगदान को याद करते हुए कहा कि भारत में महिला शिक्षा के लिए पहला प्रयास सावित्रीबाई ने किया। वह पहली छात्रा और बाद में शिक्षिका बनीं। महात्मा



ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने 1848 में पूणे में पहली पाठशाला प्रारंभ की और पांच वर्षों में अठारह विद्यालय शुरू किए। स्त्री मुक्ति और स्त्री शिक्षा का पहला शंखनाद फुले दम्पति ने किया। अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज में स्त्री मुक्ति का सवाल बना हुआ है। महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी के लिए आज भी आंदोलन चलाने पड़ रहे हैं। महिलाओं का शिक्षा का दर मात्र 43 प्रतिशत है। बल्कि कुछ क्षेत्रों में यह दर कम भी हो रहा है। संसद में महिलाओं का प्रतिशत ग्यारह तक सिमटा हुआ है। यह 35 प्रतिशत होना चाहिए था। कहा जाए तो महिलाओं को उनका उचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी शिक्षा, रोजगार, कानून, श्रम आदि को नकारा जाता है। कानून है पर व्यवहार में नहीं लाए जा रहे हैं। आंतरराज्यातिय विवाह को लेकर उनका बहिष्कार किया जाता है। समाज की एक मानसिकता बनी हुई है उसे तोड़ने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा और इसके प्रयास और तेज करने होंगे।

कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित डॉ. कुसुम त्रिपाठी ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं की शिक्षा की दशा सुधरी नहीं है। समाज आज भी महिला वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने सामंती विचारधारा, जाति प्रथा की जड़ों को तोड़ने तथा महिला शिक्षा को पर्याप्त स्थान देने के लिए संघर्ष की जरूरत पर बल दिया।



अध्यक्षयी उदबोधन में प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि समाज परंपराओं को जकड़ लेता है और उसे तोड़ना आसान काम नहीं होता। हमें संविधान के माध्यम से मौका मिला है और इससे परंपराओं को तोड़कर समानता के



धरातल पर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम में शिक्षा विद्यापीठ के



अधीष्ठाता प्रो. अरविंद कुमार झा, डॉ. एम. एल. कासारे, संदीप सपकाले आदि सहित शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने अपनी राय रखी। इस अवसर पर उपासना और उनकी टीम ने गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन अवंतिका शुक्ला ने किया। समारोह में अध्यापक, अधिकारी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

